

फर्द अहकाम

(नियम-26)

अज अदालत सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी, शिव

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
छगना पुत्र नोजा जाति माली, निवासी शिव तहसील शिव, जिला बाडमेर		उदाराम पुत्र शंकरा जाति माली, निवासी शिव तहसील शिव, जिला बाडमेर वगैरा (04)

किस्म मुकदमा राजस्व आवेदन (251 ए)

मुकदमा नम्बर 233/2013

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तमील में जारी हुए
10.02.2022	माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बाडमेर द्वारा राजस्व अपील संख्या 70/2019 बअनवान छगना बनाम उदाराम वगैरा में पारित निर्णय दिनांक 16.11.2021 की पुष्टि करते हुए प्रकरण सुनवाई हेतु प्रतिपेधित किया है। माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी, बाडमेर द्वारा इस निर्देश के साथ पत्रावली रिमाण्ड की है कि उक्त आवेदन के संबंध में उभयपक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित करने के आदेश पारित किये है और इस न्यायालय द्वारा पूर्व में दिनांक 21.10.2019 को पारित निर्णय को अपास्त कर दिया गया है। अतः प्रकरण द्वारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 के तहत पुनः उसी नम्बर पर दर्ज रजिस्टर हो। पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही आईन्दा दिनांक <u>20.05.22</u> को पेश हो। सहायक कलक्टर (SDO) शिव	
20.5.22	पत्रावली पेश हुई। श्रीमान पीठासीन अधिकारी के दीगर कार्यों में व्यस्त होने के कारण इत्तवा होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार आईन्दा दिनांक <u>29.6.22</u> को पेश हो।	
29.6.22	पत्रावली पेश हुई। श्रीमान पीठासीन अधिकारी के दीगर कार्यों में व्यस्त होने के कारण इत्तवा होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार आईन्दा निर्णय <u>05.8.22</u> को पेश हो।	
05.8.22	पत्रावली पेश हुई। श्रीमान पीठासीन अधिकारी के दीगर कार्यों में व्यस्त होने के कारण इत्तवा होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार आईन्दा निर्णय <u>14.9.22</u> को पेश हो।	

U.T.
05/8/2022

20.11.25

पत्रावली पेश। वाकुलाप उपस्थित।
पत्रावली वाले बारी बरील के केंद्र
पक्षकारान् के सपत्र मुकाम से कार्यवाही
हेतु माओशिर किप जागर दिनांक 20.11.25
के पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
शिव

20.11.25

पत्रावली पेश हो।
प्राधी/ विप्राधी अधिवक्ता उपस्थित/ अनुपस्थित।
पत्रावली में आज कांड प्रधावी कार्यवाही नहीं होने व
कारण इस्तवा होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार
दिनांक 20.11.26 को पेश हो।

07.01.26

पत्रावली पेश। वाकुलाप अनुपस्थित।
पत्रावली में प्रधावी पेश हो हेतु पक्षकारान्
व अधिवक्ताओं को त्जापालन सपत्र में
रुक-रुककर आवेजें दी जाने के
बावजूद कोई उपस्थित नहीं। अतः
पत्रावली में प्रधावी पेश नहीं होने
तथा अनुपस्थित रहने पर उक्त आवेदन
इसी स्टेज पर अदत हाजरी व अदत
पेश हो के खारिज किता जाता है।
पत्रावली फंसल होकर नम्बर से
कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
शिव